न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 814 / 2024

अनवान : –

1. मुन्शीराम पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. मीरा पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. राजो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. शान्ती पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. बिमला देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. गुडी देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. किताबो पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. प्रमिला देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
9. महेन्द्रा देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
10. सत्यपाल पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
11. हरी राम पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
12. हनुमान प्रसाद पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
13. जसवन्त पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
14. मोहन लाल पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
15. रामप्रताप पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
16. बृजलाल पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
17. सन्दीप कुमार पुत्र गुडी पुत्री चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
18. सीमा पुत्री गुडी पुत्री चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
19. दीपीका रानी पुत्री गुडी पुत्री चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 2/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि [illegible] मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 142/[illegible] के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6360 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल के नाम दर्ज है। केसर व चन्दो का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो कि वादी बहिने है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 जो कि वादी मृतक बहिन केसर पुत्री गुरदयाल के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 10 ता 16 जो कि वादी मृतक बहिन चन्दो पुत्री गुरदयाल के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 जो कि वादी की बहिन मृतका चन्दो की मृतक पुत्री गुडी के वारिस है उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है इसी प्रकार बाद हकत्याग व मुताबीक पारिवारीक समझौता रोही मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 142/135 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.6360 है0 भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 19 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 20 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण केसर व चन्दो आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। ... वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल के नाम दर्ज है। केसर व चन्दो का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3 जो कि वादी बहिने है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 जो कि वादी मृतक बहिन केसर पुत्री गुरदयाल के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 10 ता 16 जो कि वादी मृतक बहिन चन्दो पुत्री गुरदयाल के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 जो कि वादी की बहिन मृतका चन्दो की मृतक पुत्री गुडी के वारिस है उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है इसी प्रकार बाद हकत्याग व मुताबीक पारिवारीक समझौता रोही मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 142/135 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.6360 है0 भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 142/135 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.6360 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल के नाम दर्ज है। केसर व चन्दो का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो कि वादी बहिने है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 जो कि वादी मृतक बहिन केसर पुत्री गुरदयाल के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 10 ता 16 जो कि वादी मृतक बहिन चन्दो पुत्री गुरदयाल के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 17 ता 19 जो कि वादी की बहिन मृतका चन्दो की मृतक पुत्री गुडी के वारिस है उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है इसी प्रकार बाद हकत्याग व मुताबीक पारिवारीक समझौता रोही मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 142/135 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.6360 है0 भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक गुरदयाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है ... वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित ह... स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 142/135 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.6360 है0 भूमि में मृतका केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल व प्रतिवादीया संख्या 1,2,3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 814/2024

अनवान : –

1. मुन्शीराम पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. मीरा पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. राजो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. शान्ती पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. बिमला देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. गुडी देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. किताबो पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. प्रमिला देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
9. महेन्द्रा देवी पुत्री केसर पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
10. सत्यपाल पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
11. हरी राम पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
12. हनुमान प्रसाद पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
13. जसवन्त पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
14. मोहन लाल पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
15. रामप्रताप पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
16. बृजलाल पुत्र चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर।
17. सन्दीप कुमार पुत्र गुडी पुत्री चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
18. सीमा पुत्री गुडी पुत्री चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
19. दीपीका रानी पुत्री गुडी पुत्री चन्दो पुत्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 814 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 142/135 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 9.6360 है0 भूमि में मृतका केसर, चन्दो पुत्रीयान गुरदयाल व प्रतिवादीया संख्या 1,2,3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested